चंदनगांव व सिवनी प्राणमोती की दो कॉलोनियां अवैध घोषित

छिंदवाड़ा नगर निगम की बड़ी कार्रवाई : भू-स्वामियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश, निगम ने की जांच-परख कर ही भूखंड खरीदने की अपील

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 23 जुलाई, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमा क्षेत्रान्तर्गत बिना किसी सक्षम अनुमति के अवैध रूप से भूखंडों का क्रय-विक्रय कर अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण करने वालों पर निगम प्रशासन का चाबुक लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने मौजा चंदनगांव और सिवनी प्राणमोती में दो पृथक-पृथक भू-स्वामियों द्वारा बिना डायवर्शन, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन और बिना कालोनाइजर लाइसेंस के बनाई गई अवैध कॉलोनियों पर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें अनाधिकृत कॉलोनी घोषित कर दिया गया है।



प्राप्त विवरण के अनुसार, मौजा चंदनगांव निवासी रघुनाथ पिता तिमाजी पाटनकर द्वारा खसरा नंबर 14/3/1/1/1/1/1 (रकबा 0.1700 हेक्टेयर) भूमि पर सक्षम अधिकारियों से डायवर्शन व विकास की अनुमति लिए बिना छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर विक्रय किया गया। वहीं दूसरे मामले में मौजा सिवनी प्राणमोती निवासी पूरन सिंह पिता शिव सिंह द्वारा खसरा नंबर 172/4/1/1/1/1/1/1 (रकबा 0.1430 हेक्टेयर) भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर भूखंडों को विभक्त कर अवैध कॉलोनी का निर्माण व विक्रय किया गया। नियमानुसार किसी भी कॉलोनी में भूखंड विक्रय से पूर्व रेरा रजिस्ट्रेशन, भूमि का व्यपवर्तन, कालोनाइजर लाइसेंस एवं कॉलोनी विकास की अनुमति अनिवार्य होती है, जिसका दोनों स्वामियों द्वारा पूर्णतः उल्लंघन किया गया।

राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी के संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन और पंचनामे के आधार पर दोनों भू-स्वामियों को अंतिम सूचना पत्र जारी किए गए थे, किंतु संबंधितों द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) के प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों भूमियों पर विकसित कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से %अनाधिकृत/अवैध कॉलोनी% घोषित कर दिया गया है तथा संबंधितों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी कार्रवाई के साथ ही नगर निगम प्रशासन ने आम जनता से पुरजोर अपील की है कि वे अपनी गाढ़ी कमाई से भूखंड (प्लॉट) खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें और किसी भी अवैध या अनाधिकृत कॉलोनी में भूखंड का क्रय-विक्रय न करें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि प्लॉट खरीदने से पूर्व संबंधित कॉलोनी के रेरा रजिस्ट्रेशन, कालोनाइजर लाइसेंस, भूमि के डायवर्शन एवं नगर निगम से स्वीकृत ले-आउट व विकास अनुमति संबंधी दस्तावेजों की भली-भांति जांच-परख अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी व आर्थिक चपत से बचा जा सके।

परिवहन विभाग ने स्कूल बस को किया जब्त

बिछुआ, चांद, खमारपानी क्षेत्र में की वाहनों की सघन जांच

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 23 जुलाई, गुरूवार को परिवहन विभाग के विशेष जांच दल द्वारा बिछुआ-चांद-खमारपानी क्षेत्र में संचालित स्कूल वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान के दौरान छोटे-बड़े लगभग 30 स्कूल वाहनों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वाहनों के समस्त दस्तावेज, चालक के ड्रायविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग सहित अन्य बिंदुओं की जांच की गई।



जांच के दौरान स्कूल वाहन क्रमांक एमपी 19 टी 3552 बिना बीमा, फिटनेस एवं बिना परमिट संचालित पाया गया। इस पर वाहन को जब्त कर पुलिस थाना बिछुआ परिसर में खड़ा कराया गया। इसके अलावा मोटरयान अधिनियम के तहत दस्तावेजों एवं अन्य कमियां पाए जाने पर 06 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 75,500 रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया। परिवहन विभाग द्वारा स्कूल वाहन संचालकों एवं चालकों को समझाइश दी गई कि वे मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुरूप ही वाहनों का संचालन करें। अन्यथा कमियां पाए जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

एक नजर में

शहीदों को याद किया कांग्रेस ने



सिवनी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बालगंगाधर तिलक एवं महान क्रांतिकारी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन सिवनी में मनाया गया, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश मरावी, जिला कांग्रेस प्रवक्ता जेपीएस तिवारी द्वारा देश के महान सपूतो के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने पुष्पअर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी ने देश के अमर शहीदों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बालगांधर तिलक जी ने देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नागरिको को एक जूट करने का काम किया था। उन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूँगा का नारा दिया।

01 जून से अब तक जिले में 453 .4 मिमी औसत वर्षा दर्ज

सिवनी। जिले में मानसून की गतिविधियां लगातार जारी हैं। भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय द्वारा जारी दैनिक वर्षा प्रतिवेदन के अनुसार 01 जून से 23 जुलाई 2026 तक जिले में 453 .4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। वहीं 23 जुलाई को जिले में 43 .8 मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई। दैनिक प्रतिवेदन के अनुसार 23 जुलाई को बरघाट तहसील में 11 .4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त कुरई में 17 .3 मिमी, छपारा में 22 .0 मिमी, सिवनी में 121 .8 मिमी तथा घंसौर में 25 .0 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं केवलारी में 44 .4 मिमी, लखनादौन में 10 .2 मिमी और धनौरा में 98 .0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 01 जून से 23 जुलाई तक हुई संचयी वर्षा के अनुसार बरघाट में 581 .4 मिमी, केवलारी में 499 .8 मिमी, सिवनी में 594 .4 मिमी, लखनादौन में 453 .6 मिमी, कुरई में 415 .3 मिमी, छपारा में 391 .9 मिमी, धनौरा में 403 .5 मिमी तथा घंसौर में 287 .2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अब तक कुल 3627 .1 मिमी वर्षा तथा 453 .4 मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पिछले वर्ष 23 जुलाई 2025 तक जिले में 634 .6 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई थी।

उमड़ा श्रृद्धालुओं का जनसमूह जय जगन्नाथ गुंजायमान हुआ

भगवान जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा की निकली भव्य शोभायात्रा

छपारा नवभारत। नगर में 23 जुलाई दिन गुरुवार को नगर के बाजार स्थित श्री राम मंदिर से श्री जगन्नाथ रथयात्रा निकाली गई जो दोपहर दो बजे से प्रारंभ होकर नगर के बैंनगंगा नदी नदी पुल घाट स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर गोल्डन टेम्पल पर 5 बजे पहुंची लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर निकाली गई रथयात्रा में रथ को बड़ी ही भक्ति भाव से हजारों की संख्या में नगर सहित क्षेत्रीय ग्रामों के श्रृद्धालुओं ने रथ पर बंधी रस्सी को खिंचकर नगर के मुख्य मार्गों से बस स्टैंड परिसर और पुलिस थाना के सामने से नगर के बैंनगंगा नदी पुल घाट स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर गोल्डन टेम्पल तक



ले कर गए उक्त रथयात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रथयात्रा में शामिल हुए रथयात्रा का नगर में जगह - जगह स्वागत अभिनन्दन किया गया एवं शोभायात्रा में शामिल जनों का फल, मीठा एवं चाय वितरण किया गया वहीं रथयात्रा के समापन पर लक्ष्मी नारायण मंदिर गोल्डन टेम्पल पर श्री जगन्नाथ जी को भोग चढ़ाएं जाने के बाद महाआरती कर भंडारा प्रसादी बांटी गई।

पूर्व सांसद ने प्रशिक्षण और रोजगार को लेकर युवाओं से किया संवाद

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 23 जुलाई, देश और प्रदेश के शिक्षित व योग्य युवाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। सरकार रोजगार देने की बजाए लाठियां दे रही यह बात आप सभी जानते हैं। इस चुनौतीपूर्ण दौर में काम केवल उन हाथों में है जो हुनरमंद है। तकनीकी शिक्षा व कार्य में पूर्णतः दक्ष है।



यह बात जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने एटीडीसी, सीआइआई व अशोक लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ रहे युवाओं से संवाद के दौरान कही। तीनों कौशल केन्द्र के सैकड़ों युवा नकुलनाथ भेंट करने कमलकुंज शिकारपुर पहुंचे थे। नकुलनाथ ने सभी कौशल केन्द्र के युवाओं से प्रथक-प्रथक भेंट कर उनसे संवाद किया। कौशल केन्द्र पर दिए जा रहे प्रशिक्षण व सतत रूप से विभिन्न कम्पनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने पर जानकारी ली। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की दूरदृष्टि का परिणाम एटीडीसी, सीआइआइ, अशोक लीलैंड, एफडीडीआइ सहित वे तमाम कौशल केन्द्र हैं जहां आज छिन्दवाड़ा व पांढुर्ना जिले के सैकड़ों युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और फिर रोजगार के अवसर अथवा स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर जिले के युवा आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। परिवार और समाज को भी मजबूत कर रहे। माताएं-बहनें आत्मनिर्भर हो रही है और परिवार को आर्थिक मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही। श्री नाथ ने आगे कहा कि खुशी होती है कि मप्र और देश का यह एकमात्र ऐसा जिला है जहां इतनी अधिक संख्या में कौशल केन्द्र संचालित हो रहे हैं। प्रसन्नता तब और बढ़ जाती है जब युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ते हुए देखने का सुखद अवसर प्राप्त होता है।

रेलवे गेटकीपर के हमलावरों की तलाश में पुलिस आरपीएफ जुटी

सोना पिपरी - रिधोरा मार्ग स्थित रेलवे गेट पर पांच छह अज्ञात आरोपियों ने की थी मारपीट

नवभारत न्यूज

परासिया, 23 जुलाई, गत शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात सोना पिपरी-रिधोरा मार्ग स्थित रेलवे फाटक पर तैनात गेटकीपर के साथ हुई मारपीट के मामले में परासिया पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ संयुक्त रूप से आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर उनकी तलाश कर रही है।जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी ईश्वरी पटले अपनी टीम के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों एवं मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रहे हैं। वहीं मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। दूसरी ओर, रेलवे आरपीएफ के जुन्नारदेव थाना एवं परासिया चौकी का स्टाफ भी अपने कर्मचारी पर हुए हमले के आरोपियों की तलाश में जुटा है।परासिया पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।गौरतलब है कि ग्राम सोनापिपरी रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेटकीपर आर्यन राज के साथ देर रात कुछ अज्ञात युवकों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल आर्यन को पहले सिविल अस्पताल परासिया ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छिंदवाड़ा की ओर से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो रेलवे फाटक पर पहुंची थी। वाहन में सवार 5-6 युवकों ने गेटकीपर से फाटक खोलने के लिए कहा। आर्यन राज ने ट्रेन गुजरने तक फाटक नहीं खोलने की बात कही, जिससे युवक आक्रोशित हो गए। आरोप है कि उन्होंने डंडों से आर्यन पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई।आर्यन की चीख-पुकार सुनकर पास में चल रहे निर्माण कार्य के मजदूर मौके पर पहुंचे और उसे हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जयंत डेहरिया की नियमित जमानत सत्र न्यायालय से खारिज

लखनादौन नवभारत। लूट एवं जबरन वसूली के चर्चित प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद आरोपी जयंत डेहरिया की नियमित जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री ललित झा की अदालत ने खारिज कर दी। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस के बाद अदालत ने आरोपी को नियमित जमानत देने से इन्कार कर दिया। वहीं फरियादी प्रदीप दुबे की ओर से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं सीनियर एडवोकेट फ़ज़ील अहमद फिरदौसी, सीनियर अधिवक्ता ए.के. त्रिपाठी, अधिवक्ता मुनेन्द्र नाथ मिश्रा, कुमारी रोशनी पटेल ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपी लगभग 10 माह तक फरार रहा, उस पर ?10 हजार का इनाम घोषित था और वह प्रकरण का मुख्य आरोपी है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका लंबित है, जिसमें पुलिस को कई आदेश दिए जा चुके हैं तथा 29 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित है। फरियादी पक्ष का तर्क था कि आरोपी ने न्यायिक कार्यवाही के दबाव में आत्मसमर्पण किया। वरिष्ठ अधिवक्ता फ़ज़ील अहमद फिरदौसी ने न्यायालय को यह भी बताया कि घटना का वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है, जिसे अदालत में प्रस्तुत किया गया, लेकिन तकनीकी कारणों से उसका प्रदर्शन नहीं हो सका। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी की भूमिका, मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री ललित झा ने आरोपी जयंत डेहरिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आदेश के बाद आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही रहेगा। गौरतलब है कि 15 जुलाई को जयंत डेहरिया ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। 16 जुलाई को न्यायालय में पेश किया गया था जहाँ से जेल भेज दिया गया था। बाद में स्वास्थ्य संबंधी शिकायत पर उसे अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद स्थिति सामान्य पाए जाने पर 17 जुलाई को उसे पुनः जेल भेज दिया गया। वर्तमान में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।

स्कूल के बच्चो ने पौधे लगाकर दिया संदेश

बरघाट नवभारत। शासकीय प्राथमिक कन्या शाला साल्हे खुर्द संकुल केंद्र अरी में प्राथमिक कक्षा की छात्राओ ने अपने शिक्षको से विद्यालय में एक लघु उद्यान बनाने की अभिलाषा व्यक्त की जिस पर संस्था के शिक्षक संजय तिवारी वा भुमेंश्वर बिसेन द्वारा ग्राम सरपंच से चर्चा की जिस पर ग्राम सरपंच श्रीमती सत्यवंती उइके ने सहमति देकर इस प्रकार ग्राम विकास की योजना के लिए शाला परिवार की सराहना की । सरपंच पति श्री झामसिंह उईके ने कहा की ग्राम के बच्चो की भावना का सम्मान किया जावेगा। भविष्य में इस विद्यालय के लघु उद्यान को पंचायत के सहयोग से व्यवस्थित वा सुसाजित बनाया जावेगा। संस्था की संस्कार शिक्षिका श्रीमती अर्चना तुरकर ने बच्चो को पेड़ पौधों के महत्व से परिचित कराते हुए उद्यान के लिए प्रेरित किया । उक्त कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि , ग्रामवासी, आंगनवाड़ी, शाला प्रबंधन समिति, शाला परिवार वा संस्था की नन्ही नन्ही बच्चियों की उपस्थिति में सम्पन हुआ । साथ ही आव्हान किया गया की इस प्रयास की तरह ही ग्राम के अभिभावक जन भी ग्राम को हरा भरा बनाने में अपना योगदान देगे ।



सांसद बंटी साहू ने दिल्ली में की केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 23 जुलाई, सांसद बंटी विवेक साहू ने मानसून सत्र के दौरान नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सौजन्य मुलाकात करते हुए विगत दिनों छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में प्रदेश में सबसे अधिक 211 बीएसएनएल के मोबाईल टावर स्वीकृत किए जाने पर उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के दौरान छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में संचार के क्षेत्र में अन्य विषयों पर भी



चर्चा की है, जिस पर केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हरसंभव सहयोग का आश्वासन सांसद बंटी विवेक साहू को दिया है।

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में प्रदेश में सबसे अधिक 211 बीएसएनएल के मोबाईल टावर लग जाने से क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं और डिजिटल कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर नेटवर्क सुविधा का लाभ मिलेगा, साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी सुदृढ़ होने से जहा आदिवासी भाई-बेहनों को संचार सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेंगा वही युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में नई जानकारियां मिल सकेंगी और किसानों को भी आधुनिक कृषि व शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलते रहेंगी। उल्लेखनीय है कि सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करते हुए छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा के दूरस्थ अंचलों में मोबाईल टॉवरों की स्थापना को लेकर चर्चा कर उन्हें पत्र सौंपकर मोबाईल टॉवरों की स्थापना का निवेदन किया था। जिसके बाद ही छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले में सर्वाधिक 211 साइट चिन्हित करते हुए मोबाईल टॉवरों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विदित हो कि केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मध्यप्रदेश में कुल 587 नई साइटों में मोबाईल टॉवर लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा के दूरस्थ अंचलों में 211 मोबाईल टॉवर स्वीकृत हुए थे। यह 4जी 211 मोबाईल टॉवर लगने जाने से दोनों जिलों के निवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रूपेश कुशवाहा, पिता श्री सत्यनारायण कुशवाहा, उम्र 44 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 11, हॉस्पिटल के पीछे, बड़कुही, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के शैक्षणिक अभिलेखों में नाम **रूपेश कुमार कुशवाहा** दर्ज है, जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार समग्र आईडी एवं अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों में नाम **रूपेश कुशवाहा** दर्ज है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। शपथकर्ता का वास्तविक एवं प्रचलित नाम रूपेश कुशवाहा, पिता श्री सत्यनारायण कुशवाहा है तथा भविष्य में भी वे इसी नाम से जाने और पहचाने जाएंगे। अतः रूपेश कुमार कुशवाहा एवं **रूपेश कुशवाहा** को एक ही व्यक्ति के नाम के रूप में जाना जाए।

रूपेश कुशवाहा
पिता- श्री सत्यनारायण कुशवाहा

बदहाली | दर्जनों किसानों की फसलें जलभराव से बर्बादी की कगार पर, आसपास के क्षेत्रों में फैला पानी

तीन साल पहले बनी नहर बारिश में फूटी, फसल बर्बादी की कगार पर

सिवनी नवभारत। जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढेंकी में करीब तीन वर्ष पूर्व निर्मित नहर लगातार हो रही बारिश के बीच टूट गई, जिससे आसपास के खेतों में पानी भर गया और दर्जनों किसानों की फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई हैं। घटना के बाद नहर निर्माण की घटिया गुणवत्ता सामने आ गयी है। किसानों का आरोप है कि निर्माण के समय ही उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर आपत्ति दर्ज कराते हुए जांच की मांग की थी, लेकिन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब नहर टूटने से उनके आरोप सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, उक्त नहर का निर्माण मेंटेना कंपनी द्वारा कराया गया था। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय किसानों



ने कई बार गुणवत्ताहीन सामग्री के उपयोग और मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जांच कराने की मांग की थी। बावजूद इसके निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। किसानों का कहना है कि यदि उस समय शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक सुधार किए जाते तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

लगातार बारिश के बीच नहर के टूटने से बड़ी मात्रा में पानी आसपास के कृषि क्षेत्रों में फैल गया। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहा, जिससे खरीफ की फसलें प्रभावित हो गईं। कई खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है। प्रभावित किसानों का कहना है कि उन्होंने खेती में बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों पर पर्याप्त निवेश किया है। ऐसे समय में फसलों का जलभराव की चपेट में आना उनके लिए गंभीर आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर वास्तविक नुकसान का आकलन करने और शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है।

ग्रामीणों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

ग्रामीणों ने नहर निर्माण की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही, गुणवत्ता से समझौता या अन्य अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित निर्माण एजेंसी, ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि शीघ्र जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो लगातार हो रही बारिश के कारण आसपास के अन्य खेत भी जलभराव की चपेट में आ सकते हैं, जिससे नुकसान का दायरा और बढ़ जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है और वे प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

जिले में अभी तक 403 .5 मि .मी . औसत वर्षा दर्ज

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, 23 जुलाई, जिले की औसत वर्षा 1059 मि.मी. है तथा जिले में अभी तक 403.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 470.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 23 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 29.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है।

अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 23 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान जिले की तहसील छिंदवाड़ा में 19, मोहखेड़ में 22.5, तामिया में 60, अमरवाड़ा में 24.2, चौरई में 48, हर्रई में 8.5, बिछुआ में 44.8, परासिया में 14.2, जुन्नारदेव में 31.8, चांद में 25.2 और उमरेठ में 26.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

(ई-मेल- deo-mp@nic.in)

पता - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) पिन कोड-480001

क्रमांक/3807 / क्रीड़ा गणवेश / निविदा/ 2026 छिन्दवाड़ा, दिनांक - 21.07.2026

-00 संक्षिप्त निविदा सूचना 00-

शालेय खेल प्रतियोगिता शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु छिन्दवाड़ा जिले के 14, 17, 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स किट (टी शर्ट, निकर, जूते-मोजे) क्रय की जाना है, इस हेतु पंजीकृत फर्मों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदा दाता दिनांक 22/07/2026 से 04/08/2026 तक "कार्य दिवसों" के कार्यालयीन समय में इस कार्यालय से निविदा फॉर्म व निविदा की शर्तें निर्धारित शुल्क 100.00 रुपये जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा शर्तों के अधीन नियमानुसार नियत धरोहर राशि के साथ बंद लिफाफे में निविदायें दिनांक 22.07.2026 से दिनांक 04.08.2026 की दोपहर 02.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा की जा सकती हैं तथा दिनांक 04.08.206 को सायं 04.00 बजे नियत समयावधि में प्राप्त निविदायें क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदायें मान्य नहीं की जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा को निविदा प्रक्रियां को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार होगा। कार्यालय प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं निविदाकर्ता के लिए बंधनकारी होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-छिन्दवाड़ा (म0प्र0)